

प्रेषक,

एच०पी० सिंह
विशेष सचिव
उ०प० शासन।

सेवा में,

मिटेशक,
राज्य नगरीय विकास ऑफिसरण,
उ०प०, लखनऊ।

उत्तरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्नयन कार्यक्रम प्रभाग।

दिवार:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के उन्नतर्गत शहरी गरीबों के लिये अनुसूचित जाति वाहूल्य वसितयों तथा नगरीय मलिन वसितयों में आसरा योजनान्तर्गत द्वितीय/अंतिम किशत की वित्तीय स्वीकृति।

मान्यता,

उपर्युक्त विषयक आपके पश्च राइफा-581/76/एक/2013-14 दिनांक 19 नई, 2015 एवं संख्या-2147/76/एक/2013-14 दिनांक 21 अगस्त, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति वाहूल्य वसितयों तथा नगरीय मलिन वसितयों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 से मिटेशक, सूडा के जिलांत पर रखी घनराशि से वित्तीय वर्ष 2013-14 में जनता-सीतापुर की निकाय, महानूदाबाद की 48 आवासों की 01 परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-265/26-प्रयो-14-32(आसरा-83)/2013 दिनांक 04.03.2014 हारा रु 164.585 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित परियोजना लागत का लगभग 50 प्रतिशत अर्थात् रु 82.293 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी। अतएव उक्त परियोजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधिकित बजट से लिमिटिंग तालिका से स्तम्भ-7 में अंकित घनराशि रु 82.292 लाख (रुपये दसासी लाख उन्नीस हजार दो सौ भाव) की द्वितीय/अंतिम किशत के रूप में श्री राज्यपाल महोदय लिमिटिंग शर्ती/प्रतिवर्त्यों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। (घनराशि लाख रुपये में)

क्र०	जनपद/ क्षेत्र	कुल आवासों की संख्या	परियोजना की कुल आवासीय लागत	अनुसूचित वर्ग के आवासीयों की आवासों की संख्या	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थीयों हेतु परियोजना की कुल आवासीय लागत	द्वितीय/अंतिम किशत के रूप में स्वीकृत की जाने वाली घनराशि
क्र०	क्षेत्र/ महानूदाबाद			4	5	6
1	सीतापुर/ महानूदाबाद	96	319.17	48	164.585	82.292
				48	164.585	82.292

(रुपये दसासी लाख उन्नीस हजार दो सौ भाव)

- उक्त घनराशि का द्वय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या- 33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2014 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(री) दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/द्वयस्थ का प्रार्थना अनुपालन सुविधित करने हुए की जायेगी।
- प्रखण्ड कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुरितका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार पायोजना पर राशम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा उक्त स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही काय प्रारम्भ किया जायेगा। -2/-

प्र० गौड़ा /प्र० महुल, भा०✓प्र० गौड़ा /प्र० महुल, भा०

13. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में दशा कलेन्डर अवधि के लिया जायेगा तथा धनराशि व्यय हो जाने के पश्चात उसके सापेक्ष भौतिक प्रवर्ति/गुणवत्ता एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शास्त्र के समय से उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो, तो एकमुक्त शास्त्र योग्यता करनी होगी।
14. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०प्र०, लखनऊ आड़ाग की वर्धन्ते पर अपने लेखों वा मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य करायें।
15. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई हो रथावरदासा धनराशि अनुदान करने से पूर्व अनुदान (एम०ओ०प०) निष्पादित किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित हड्डा वा निर्देशित लिया जायेगा।
16. स्थीरत की जा रही धनराशि का इव्व योजना आदेश, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस०स०एस०प०/टी०एस०प० हेतु निर्धारित व्यवस्थानुसार क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए ही किया जायेगा।
 2. उपरोक्त धनराशि का इव्व चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के नाय-व्यवक ने अनुदान संख्या ८३ के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4216-आवास पर पूँजीगत परिवद्य-आयोजनागत-०२-शहरी आवास-७८९-अनुसूचित जातियों के लिए नियोग घटक योजना-०३-आसरा योजना (आवासीय भवन)-२५-दृष्ट निर्माण कार्य।" के तहत दाला जायेगा।
 3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-२/२०१५/००१-९२५/दस-२०१५-२३१/२०१५, दिनांक ३०.०३.२०१५ व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत लिखे जा रहे हैं।

व्यवोध
१५१,
(एच०प० सिंह)
विशेष सचिव।

जंडा-पी०/२०१५/२२१८(१)/६९-१-१५, तदिनोंक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं इकाई), प्रयम, ३०प्र०.२० सरोजनी नायदू मान, इलाहाबाद।
2. निदेशक, रथावरीय विभिन्न लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठांग तल, संगम नगर, सिंहल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभियान, तीनांगुरा।
5. वित्त (ट्राय-नियंत्रण) अनुभाग ४, ३०प्र० शासन।
6. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
7. शमाज कल्याण (बजट प्रकोप्त)/कल्याण नियोजन प्रकोप्त, समाज कल्याण विभाग, ३०प्र०, शासन।
8. गुरुद्य कोषाधिकारी, जवाहर अयन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०प्र०, लखनऊ।
10. लहायक रोब मास्टर, सूडा को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड काइल/फ्रैंचाइटर सहायक/बजट समन्वयक।

जाना से,

(एच०प० सिंह)
विशेष सचिव।